कृषिमित् कृषस्व-खेती ही करो

भारतीय किसान संघ

(सो.रजि.अधि. के अंतर्गत पंजीकृत गैर सरकारी संगठन : पं. क्र.758/2001-2002)
पंजीकृत कार्यालय : उत्तरांचल उत्थान परिषद, सेवा निकेतन, हरिद्वार रोड, पो.-नेहरू ग्राम, देहरादून (उत्तराखण्ड)
प्रशासनिक कार्यालय : 43, पं. दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002
www.kisansangh.org, E-mail- bkscentraloffice@gmail.com दूरभाष : 011-23210048

दिनांक : 08.09.2016, नई दिल्ली

आत्मीय बंधु,

सादर नमस्कार।

अपने प्रांत का कार्य व्यवस्थित हो-कार्यकर्ता निर्माण की प्रक्रिया नीचे तक उतरें, इस ओर ध्यान देने के लिए जिलाशः और जहां संभव हो वहां विकासखण्डशः अभ्यास वर्गों की रचना बन चुकी होगी।

अपनी विजयवाड़ा बैठक में लिए गए निर्णयों एवं प्रस्तावों पर भी चर्चा नीचे तक पहुंची ही होगी। संसद का विशेष सत्र बुलाने को पारित प्रस्ताव **'किसानों के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया जावे।'** का स्मरण कराते हुए एक पत्र का नमूना इस पत्र के साथ प्रेषित किया जा रहा है। नमूना पत्र को अपने प्रांत के लेटरहेड पर तैयार करें। प्रस्ताव की प्रति नत्थी करें और

- यथा संभव देशभर में 16 अक्टूबर को सांसद सम्पर्क करना है।
- 16 अक्टूबर को समय तय नहीं होने की स्थिति में 10 से 20 अक्टूबर तक हमें अपने प्रांत के संसदीय क्षेत्रों के प्रतिनिधि सांसदों से मिलने की योजना करनी है।
- केंद्र के प्रस्तावों के साथ स्थानीय विषयों से संबंधित विस्तृत जानकारी का पत्र अपने स्थानीय सांसद महोदय को ठीक प्रकार से सौहार्दपूर्ण वातावरण में समझाते हुए उन्हें आग्रह करना है कि वे भी संसद में किसानों के विषय उठाएं। साथ ही साथ संसद का विशेष सत्र आहूत हो, उसमें भी सहायता करें।
- राज्यसभा के जो सांसद बंधु हैं, उन्हें भी अपनी संपर्क की सूची में जोड़कर योजना बनाना है। उन्हें मिलने जाने वालों की अलग से टोली तय हो तो अच्छा रहेगा।
- अपने प्रांत से इस विषय की विस्तृत जानकारी केंद्रीय कार्यालय पर भेजना है। कितने सांसद हैं, उनसे भेंट होने पर विशेष उल्लेखनीय बिंदु चर्चा में आया हो तो वह भी लिखकर भेजें। सुनिश्चित करना है कि सभी सांसदों (लोकसभा, राज्यसभा) से हमारी भेंट हो।

जानकारी निम्न प्रारूप में भेजें :-

क्र	सांसद का नाम	भेंट की दिनांक	टोली प्रमुख का नाम	टोली सदस्य सं.	विशेष उल्लेखनीय प्रसंग
1.					
2.					

P.T.O

आगामी कार्यक्रमों की जानकारी :-

- श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के जन्म दिनांक 10 नवम्बर-2016 को दिल्ली में गांधी संग्रहालय (राजघाट) के टैगोर सभागृह में वैश्विकरण के 25 वर्ष पूर्ण होने पर **'कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव'** विषय पर दिनभर की राष्ट्रीय स्तर की विचार गोष्ठी आयोजित है।
- 11 नवंबर-2016 को **अ.भा. कार्यकारिणी** की एक दिवसीय बैठक दिल्ली में प्रातः 9:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक रहेगी। आने-जाने की सूचना एवं बैठक स्थान की जानकारी केंद्रीय कार्यालय मंत्री श्री चंद्रशेखर जी से प्राप्त कर सकेंगे।
- सितम्बर-अक्टूबर माह में केंद्रीय अधिकारी प्रवास का प्रथम चरण संपन्न हो सके, इसके लिए अपने प्रांत में आने वाले अधिकारी से सम्पर्क करके प्रांत बैठक की तिथियां तय करनी है।
- 30 एवं 31 दिसम्बर-2016 को प्रांत संगठन मंत्रियों की बैठक एवं 1 जनवरी-2017 को क्षेत्र संगठन मंत्रियों की बैठक रांची (झारखण्ड) में होगी।
- **आर्थिक :** विजयवाड़ा बैठक में आर्थिक विषयों बाबत प्रांतशः बैठक के लिए जो निर्णय लिया गया, उसके संबंध में अपने प्रांत की बैठक तय करके इस बैठक में अपेक्षित सभी कार्यकर्ताओं को सूचित भी किया होगा। यह बैठक एक दिन की होगी, जिसमें कम से कम तीन सत्र होंगे। स्मरण रहे कि इसमें क्षेत्र संगठन मंत्री, प्रांत अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष, कार्यालय मंत्री एवं प्रांत संगठन मंत्री अपेक्षित हैं। तय तिथि की जानकारी अखिल भारतीय कोषाध्यक्ष एवं आर्थिक टोली के संबंधित सदस्य को शीघ्र दे दी जावे।

बंधुवर! आपको ध्यान में आ ही रहा होगा कि यह सांसद सम्पर्क भेंट कार्यक्रम हमारे लिए कितने महत्व का है। क्योंकि यह कार्यक्रम हमारा जन-जागरण कार्यक्रम भी है, अतः इसकी जानकारी मीडिया द्वारा जनता तक भी पहुंचे और आम किसानों में चर्चा का विषय बनें। इसलिए ठीक से रचना बनाकर सम्पूर्ण शक्ति का उपयोग करें ताकि अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर सकें। इसी शुभेच्छा के साथ आप सभी को पुनः नमस्कार।

कृपया पत्र मिलने पर एसएमएस अवश्य करें।

आपका

बद्री नारायण चौधरी
महामंत्री, भा.कि.संघ
मो.-09414048490

सांसद भेट के समय वार्ता के लिए कुछ सांकेतिक बिन्दु हैं, शेष प्रांत/संसदीय स्तर पर विचार कर लें :-

1. लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य प्राप्त हो।

2. जीएसटी :

- जी.एस.टी लागू होने के साथ ही, उपभोक्ता वस्तुओं पर उत्पादन लागत लिखना भी अनिवार्य हो ताकि लागत एवं विक्रय मूल्य का अंतर सामने आ सके।
- खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लागू होने से कर में वृद्धि के प्रभाव से किसान के हितों की सुरक्षा हो।

3. जी.एम. बीज :

- तकनीक विकास के लिए हम विरोध नहीं करते, परन्तु पूर्णतया सुरक्षित होने की जांच/परीक्षण के बाद ही लागू हो।

4. शासकीय अनुदान सीधे बैंक खाते में जावें :-

- लघु एवं सीमांत किसानों को अधिकतम सहायता प्राप्त हो, ऐसी योजना बने।
- रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों को मिलने वाली राशि को धीरे-धीरे जैविक खाद एवं कीट नियंत्रकों के लिए उपलब्ध कराने का तरीका निश्चित किया जावे।
- जैविक कृषि प्रोत्साहन एवं शोध के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एवं ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यारम्भ हो।
- राज्य सरकारों के माध्यम से केंद्रीय योजनाओं के साथ न्याय नहीं होता, अतः सीधा मार्ग विकसित हो।

5. पशुपालन

- भारतीय गाय का दूध (ए-2) मानव उपयोग के लिए पूर्णतः सुरक्षित है। जब से यह सिद्ध हुआ, भारतीय गौवंश की बाहर मांग बढ़ चुकी है, इसलिए इस दुर्लभ गौवंश को बचाना ही होगा।
- इसकी नस्ल सुधार योजना पर किसानों/पशुपालकों/डेयरी संस्थाओं के लिए प्रोत्साहन योजना तैयार हो।
- हर ग्राम पंचायत स्तर पर अच्छे स्वदेशी सांड उपलब्ध हों, और विदेशों से बढ़ने वाली सांडों की मांग के अनुसार लक्ष्य बनाकर समयबद्ध नस्ल सुधार एवं आपूर्ति की तैयारी हो।

6. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश :-

- कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र में इससे बरोजगारी बढ़ने की संभावना है। विकेन्द्रित व्यवस्था ही राष्ट्र हितकारी होगी।

7. प्रधानमंत्री फसल बीमा :-

8. ग्रामीण रोजगार के अवसर :-

- कृषि उपज आधारित प्रक्रिया उद्योगों को ग्रामीण क्षेत्रों में ही लघु एवं कुटीर उद्योगों के रूप में प्रोत्साहित किया जावे।

9. आयात-निर्यात नीति :-

- किसान एवं देश हित को ध्यान में रखकर दीर्घकालीन आयात-निर्यात नीति बने।

10. कृषि का 'अम्ब्रेला' मंत्रालय बने :-

- कृषि एवं किसानों से जुड़े सभी मंत्रालय एक साथ, एक जगह आपसी तालमेल रखते हुए एक ही नियंत्रणाधीन संचालित हों, ऐसी मंत्रालयिक व्यवस्था स्थापित की जावे।
- कृषि के लिए अलग बजट हो।

11. जैविक कृषि :

- पर्यावरण, ओजोन, सिंचाई जल, मृदा स्वास्थ्य और किसान/उपभोक्ता का स्वास्थ्य, विदेशी मांग सभी के साथ समय की भी आवश्यकता है।